न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0:–194/2015

जयनारायण चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 लालपरी देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
02.12.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–03 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 05.04.2023 अंतर्गत धारा 76 एवं 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–03 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 05.04.2023 में कहा गया है कि वादी सं0–03 द्वारा स्वयं प्रतिवादी सं0–02 के द्वारा मिलकर वादग्रस्त भूमि के संबंध में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है। जिसका सच्ची प्रतिलिपि साक्ष्य के रूप में प्रदर्श अंकित होना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी सं0–03 द्वारा उपरोक्त वर्णित विक्रय विलेख की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया जा रहा है। जिसे न्यायहित में प्रदर्श अंकित जाय। वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं0–03 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0:–194/2015

जयनारायण चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 लालपरी देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 02.12.2024	से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादी सं0–03 द्वारा दाखिल विक्रय विलेख वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–03 द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 05.04.2023 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल विक्रय विलेख को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 16.01.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	